

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर^१
लिंक न्यायालय रीवा, जिला—रीवा (म0प्र0)



AS.201

R-3789 III 14

राममिलन साहू तनय विश्वनाथ साहू उम्र-45 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम कठरा तहसील बहरी, जिला-सीधी (म0प्र0) ——————आवेदक

आवेदक

बनाम

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1. वंशलाल
2. जयलाल
3. छोटेलाल | [| तनय रामलखन साहू |
| 4. अमृतलाल
5. मंगाली |] | तनय महेश प्रसाद साहू |

सभी निवासी ग्राम कठरा, तहसील बहरी, जिला—सीधी (मप्र०)

6. ମିଶ୍ନ ପାଇଁ ଅନାଵେଦକ ଗଣ

निगरानी विरुद्ध आदेश उपबन्दोबस्त अधिकारी

सीधी, जरिये राजस्व प्रकरण क्रमांक 92 / अ-१ /

1999–2000

आदेश दिनांक— 30.12.1999 जिसके द्वारा सार्वजनिक निस्तार की मध्यप्रदेश शासन की आराजी नम्बर पुराना 134 / 0.50 , 174 / 3.00 एवं 63 / 0.50 एकड़ किता 3 योग रकवा 4.00 एकड़ अनावेदकगण के नाम भूमि स्वामी अंकित कर दी गई है, जिससे सार्वजनिक निस्तार प्रभावी हुआ है, जिसे निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन किया जाना चाहिये ।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 मोप्रभूरा० संहिता

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र पेश है :—

- यह कि आवेदक एवं अनावेदकगण ग्राम कठरा, तहसील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-3789-III/14

जिला—सीधी

रामभिलन साहू/ वंशलाल साहू वगैर:

(1)	(2)
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री फणीस पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी(उपबन्दोवस्त अधिकारी) के प्रकरण क्रमांक 92/अ-1/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 30.12.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>

रामभिलन साहू